फर्द अहकाम

जसविंद्र बनाम उमेदसिंह

नाम न्यायालय SDO मोहाली

केस संख्या 176/16

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	लगातार	932, 998/1531, 999, 1001/1524, 1001/1545, 1129 कुल किता 11 रकबा 4-04 कनाल व 932/027 के फर्द पर वादीगण के हक में मालिक जैसी प्रकार की मनाही पेदा नहीं करे, वादीगण को कब्जा बेदखल नहीं करे। निर्णय उनाया गया। जिस्से सम्बन्ध में प्रतिवादीगण के पुनर्विचार प्रार्थना पत्र पेश किया कि उपरोक्त मुकदमे में 3-6-16 वाले तलबी प्रतिवादीगण 6 लगा-8 व प्रा पत्र 0.22 रूल CPC का जवाब पेश करने तथा जवाबदावा जवाब पेश करने वादीगण था। लेकिन पत्रावली रजिस्ट्री अदालत के समक्ष विचाराधीन है, वादीगण के कोई उपस्थित नहीं व प्रतिवादीगण उमेदसिंह, मेहरसिंह व मोहनसिंह उपस्थित आये। आगामी पेशी न्यायालय में तलाश के लिए रखा गया। प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत काउंटर क्लेम पेश करते हुए अर्ज आ. ख. 932/027 के पर अलग मुकदमा दायर होने के आधार पर पोषणीय आवेदनी का अनुतोष चाहा गया। पत्रावली में वादीगण व उनके अधिवक्ता की अनुपस्थिति में व लिखित तलबी प्रति स. 6 लगा. 8 रूल लिया व जवाबदावा जवाब पेश किए लिया व जैसी प्रकार तजमीमात कायम किए व साक्ष्य प्रस्तुत का अवसर दिए लिया। वादीगण का वाद डिक्री करने में अक्सर मासूली भूल की है। प्रतिवादीगण ने जब दिनांक 27-6-16 को न्यायालय में आकर पत्रावली में आगामी पेशी मालूम की तब पता चला कि उनका वाद खारिज दिनांक 3-6-16 को कर दिया। तब वकील ला. ने मिलकर सकल प्रार्थना प्रार्थना पत्र पेश किया। देखा किया कि प्रतिवादीगण का प्रा. पत्र स्वीकार कर निर्णय व डिक्री दिनांक 3-6-16 को अपास्त किया जावे।

कैद अहकाम

बनाम

176/16

आज्ञा या निष्पत्ति	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	करने का प्रा.पत्र 022 R3CPC का जवाब पेश करने से छूट थी। अतः पत्रावली में विचित्र एवं अपूर्व निर्णय हेतु प्रा.पत्र पुनर्विचार स्वीकार किया जाता है। निर्णय दिनांक 3-6-2016 को अपास्त किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर रजिस्टर से खारिज बाद के समर्पित है। (रवि विजय) उप खण्ड अधिकारी आमेर, जिला-जयपुर (राज.)	